न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
14/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण वकील उप० वादी। प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० 1321/20 दावा [illegible] के नाम लैण्ड रोकर अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पंजियन से हमेशा हेतु नम्बर की कम की।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner